न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन न0 315/2022

प्रार्थी :– 1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

बनाम

विप्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार [illegible] तहसीलदार पचपदरा आमजन हितबद्ध

प्रार्थना पत्र धारा 130, 131, 13[illegible] भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59, 60, 66, 86 भू–अभिलेख नियम 1970

उपस्थिति :– प्रार्थी :– तहसीलदार पचपदरा

आदेश दिनांक :– 22.12.2022

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, उसको रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम **रावतोणियो की ढाणी पटवार मण्डल असाडा, भू. अ. निरीक्षक वृत जसोल** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग(जो लागू नहीं) **प्रस्तावित रास्ता हनुमानजी के मन्दिर से असाडा माईस** तक ग्रेवल से जोड़ने वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम **रावतोणियो की ढाणी पटवार मण्डल असाडा, भू. अ. निरीक्षक वृत जसोल** में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या से ग्राम **रावतोणियो की ढाणी पटवार मण्डल असाडा, भू. अ. निरीक्षक वृत जसोल** के खसरा संख्या **37, 39** कमशः रकबा हैक्टेयर **5.4551, 3.7312** भूमि में उक्त ग्रेवल रास्ता चल रहा है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** में वर्णित विवरण अनुसार ग्राम आबादी **हनुमानजी के मन्दिर से असाडा माईस** [illegible] सडक रास्ता दर्ज करने का ग्राम **रावतोणियो की ढाणी पटवार** [illegible] **भू. अ. निरीक्षक वृत जसोल** निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को जरिये नो[illegible] तलब किये गये। प्रार्थी स्वयं उपस्थित ने प्रार्थना पत्र सुनवाई दिनांक से नियत तिथि से पूर्व करवाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण मे अन्य कोर्ट अनवान, विप्रार्थी तामिल, साक्ष्य अथवा सबूत की कार्यवाही अवशेष नही है । प्रार्थी द्वारा मौके पर चल रहे रास्ते को रेकर्ड मे दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो आमजन से

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सम्बन्ध है । अतः प्रकरण मे नियम तिथि से पूर्व जल्दी ही सुनवाई करने का निवेदन किया गया ।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के निवेदन पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन एवं समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। बहस पर मनन किया गया जिसमे पाया कि उक्त प्रकरण राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मोजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है, एवं आम जन से सम्बन्ध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना को स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा स्वीकार कर ग्राम रावतोणियो की ढाणी पटवार मण्डल असाडा, भू. अ. निरीक्षक वृत जसोल में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग जो भी लागू हो **हनुमानजी के मन्दिर से असाडा माईस तक** ग्रेवल सडक से ग्राम **रावतोणियो की ढाणी पटवार मण्डल असाडा, भू. अ. निरीक्षक वृत जसोल** के खसरा नं. 37, 39 कमशः रकबा हैक्टेयर 5. 4551, 3.7312 में से कमशः 0.4852, 1.4015 भूमि में एक ग्रेवल सड़क /डामर सड़क / बारहमासी मार्ग प्रभावित प्रस्तावित परिशिष्ट 'अ' परिवर्तन खतौनी में वर्णित विवरण अनुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड में अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते मे ही दर्ज रहेगा। तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तावित तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.01.14 19:54:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 22.12.2022 को खुले न्यायालय में को सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
भू–अभिलेख अधिकारी
(एसडीओ) बालोतरा